न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–384/2012

CIS NO.- 460/2018

गोपाल भारती.....वादी

बनाम

चंद्रिका राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
31.08.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 26.02.2020 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से दिनांक 26.02.2020 को आवेदन दिया गया कि प्रस्तुत वाद वादी के बहस हेतु नियत है। वादी के द्वारा वाद–बिन्दु निर्धारित होने के पूर्व अपने कागजात दाखिल किये है जो अभिलेख पर उपलब्ध है। वादी साक्ष्य के दौरान वादी साक्षी सं0–01 का साक्ष्य दिनांक 25.11.2015 को हुआ जिसे पारा न0–02 में दान का सादा चिठ्ठा दिनांक 06.02.1951 का कस्टडी साबित हुआ है तथा 30 वर्षो से अधिक पुराना है तथा वादी साक्षी सं0–01 के साक्ष्य के पारा न0–3 में जमाबंदी न0–277 का लगान रसीद दाखिल किया गया है तथा वर्ष 1958 का निर्गत रसीद का जो भूतपूर्व जमींदार द्वारा जारी है। अतः न्यायहित में उक्त कागजात को प्रदर्श करने की कृपा करें। वादी की ओर से दिनांक 26.02.2020 को ही एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया है कि वादी की गवाही बंद हो चुकी है। वादी को मालगुजारी रसीद प्रदर्श कराना है। अतः वादी को माजगुजारी रसीद प्रदर्श कराने हेतु वादी साक्ष्य खोलने का आदेश दिया जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया कि वादी के द्वारा दाखिल मालगुजारी रसीद पर प्रतिवादीगण की प्रदर्श करने पर आपत्ति है। अतः आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी की बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–384/2012

CIS NO.- 460/2018

लगातार 31.08.2022	कि वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जाना चाहिए तथा वाद से संबंधित सभी साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी अभिलेख पर उपलब्ध रहना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी के द्वारा दाखिल कागजात वाद–बिन्दु निर्धारित होने से पूर्व दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 26.02.2020 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा वादी के द्वारा दाखिल मालगुजारी रसीद को आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदन में वर्णित कागजात पर क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। वाद दिनांक 28.09.2022 को वादी बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	